लापरवाह अफसरों से नाराज विधानसभा अध्यक्ष देवनानी

20 मई को लेंगे अफसरों की क्लास, सी.एस. सहित सचिव तक रहेंगे मौजूद

15वीं और 16वीं विधानसभा के विभिन्न सत्रों के प्रश्नों, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विशेष उल्लेख प्रस्तावों के उत्तर तथ्यात्मक सूचनाएं अभी तक लम्बित हैं। लम्बा समय बीतने के बाद भी लम्बित प्रस्तावों और आश्वासनों की वांछित तथ्यात्मक जानकारी विधानसभा सचिवालय को नहीं भिजवाई जा रही है। इनमें कुछ मामले तो लम्बे समय से विभागों में अटके हुए हैं। देवनानी अफसरों की क्लास लेंगे। सी.एस. सहित सचिव तक रहेंगे मौजूद

जयपुर। विधानसभा सत्र के दौरान सरकारी अधिकारियों के द्वारा सत्र में लगने वाले ध्यानाकर्षण और प्रस्तावों के जवाब समय पर नहीं दे रहे हैं। अफसरों की इस लापरवाही पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नाराज हैं। इसी कारण से विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने इस मामले को लेकर अब मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के सचिव तक अफसरों की क्लास 20 मई को विधानसभा में सुबह 11 बजे लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र जून या जुलाई में शुरू होगा। यह बात दूसरी है कि 15वीं और 16वीं विधानसभा के विभिन्न सत्रों के प्रश्नों, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विशेष उल्लेख प्रस्तावों के उत्तर तथ्यात्मक सूचनाएं अभी तक लम्बित है। लम्बा समय बीतने के बाद भी लम्बित प्रस्तावों और आश्वासनों की वांछित तथ्यात्मक जानकारी विधानसभा सचिवालय को नहीं भिजवाई जा रही है। इनमें कुछ मामले तो लम्बे समय से विभागों में अटके हुए हैं।

देवनानी अफसरों की विधानसभा प्रस्तावों लेकर इस प्रकार की लापवारवाही से खासे नाराज हैं। मानसून सत्र से पहले बकाया लम्बित मामलों को पूरा करने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत को बताया जा चुका है। इसके बाद हाल ही आठ मई को विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत को पत्र लिखकर विधानसभा को सूचनाएं समय पर नहीं करवाने के मामले में अध्यक्ष वासुदेव देवानी की नाराजगी के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही 20 मई की बैठक और 16वीं विधानसभा के लम्बित प्रश्न, ध्यानाकर्षण और आश्वासनों पर विशेष ध्यान देकर उनका निस्तारण करवाने के निर्देश दिए हैं। देवनानी को इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि लम्बा समय गुजरने के बाद भी अफसर विधानसभा को जानकारी नहीं देते हैं। अब 20 मई को होने वाली बैठक में अफसरों को लम्बित मामलों को लेकर व्यक्तिश: उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय आने के लिए कहा है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लेंगे अफसरों की क्लास विधानसभा प्रस्तावों-आश्वासनों को लेकर लापरवाही का मामला देवनानी 20 मई को सुबह 11 बजे विधानसभा में लेंगे महत्वपूर्ण बैठक बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव होंगे शामिल जून-जुलाई में होने वाले मानसून सत्र से पहले महत्वपूर्ण बैठक आयोजित लम्बित प्रस्तावों, आश्वासनों की लम्बे समय बाद भी नहीं दे रहे हैं।

बेहतर ढंग से अंग्रेजी शिक्षा लागू करेगी भाजपा : पारीक

जयपुर, (का.सं.)। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को हिन्दी मीडियम में बदलने की चर्चाओं के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीक ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में बिना शिक्षक, बिना विद्यालय भवन और बिना आधारभूत ढांचे के अंग्रेजी स्कूल शुरू कर शिक्षण व्यवस्था को मजाक बना दिया था। अब भाजपा सरकार राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इसे बेहतर ढंग से लागू करेगी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि गुटो में बंटी कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व और साख बचाने के लिए बचाने धरने प्रदर्शन की राजनीति कर रहे है।

वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिनरात मेहनत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीक ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और राज्य की भजनलाल सरकार और भाजपा कभी भी अंग्रेजी स्कूलों के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने बिना ठोस नीति के जल्दबाजी में योजना चलाई उसे हमारी सरकार बेहतर ढंग से लागू करेगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सिक्किम से सीख लें : कलराज मिश्र

राजभवन में गुरुवार को सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान सिक्किम के स्थानीय जनों से संवाद किया और उन्हें स्थापना दिवस की बधाई दी।

जयपुर, (का.सं.)। राजभवन में गुरुवार को सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान सिक्किम के स्थानीय जनों से संवाद किया और उन्हें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से ही संपन्न नहीं है बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का भी संवाहक हैं। उन्होंने सिक्किम राज्य के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि 16 मई को यह भारत का 22वां राज्य बना। प्रकृति की सुंदरता संजोए यह धरती का दूसरा स्वर्ग है।

राज्यपाल ने सिक्किम को घाटियों, वन और नदियों का प्रदेश बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए किए वहां के कार्यों से सीख लेने का भी आव्हान किया। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला जैविक प्रदेश है और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने सिक्किम की प्रकृति संरक्षण परम्पराओं को सहेज रखा है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है।

मिश्र ने आरंभ में संविधान की उद्देशिका का सभी को वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। उन्होंने कहा कि संविधान पवित्र ग्रंथ भर नहीं है बल्कि यह भारत की गीता, कुरान और बाइबिल है। उन्होंने संविधान में निहित अधिकारों के साथ कर्तव्यों के लिए भी सभी को सजग रहने का आ ान किया। उन्होंने संविधान की मूल प्रति पर उकेरे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुध, गुरु गोविन्द सिंह आदि के चित्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की विविधता में एकता की संस्कृति का संविधान संवाहक है। सिक्किम के स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर राज्यपाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल भी उपस्थित रहे।

45 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

जयपुर। जानकी नवमी पर जयपुर शहर में सेवा भारती समिति राजस्थान के तत्वावधान में अनूठा एवं भव्य सामूहिक सर्वजातीय विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एक ही मण्डप के नीचे अलग-अलग जाति के दूल्हा-दूल्हन परिणय सूत्र में बंधे। 45 जोड़ों का विवाह भारतीय संस्कृति के अनुरूप विधि विधान से सम्पन्न हुआ। इस विवाह समारोह में 7 अन्तरजातीय सहित कुल 15 जातियों के जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इसमें एक वर द्वारा विधवा से शादी की जो कि समाज के लिए एक उदाहरण भी था। सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से सामाजिक समरसता, सादगी, समर्पण का दृश्य देखने को मिला। जहाँ आधुनिकता के चलते लोग लाखों रूपये खर्च करते है वहीं इस विवाह से सादगी का एक उदाहरण मिला।

एक साथ 45 घोड़ियों पर दूल्हों की निकासी अग्रवाल केटर्स, विधाधर नगर से प्रारम्भ होकर विवाह स्थल पहुंची, द्वार पर दूल्हों का स्वागत महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा से किया गया। इसके बाद एक साथ सभी ने तोरण मारने की परम्परा का निर्वहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वर वधु पक्ष लोगों के साथ समाज के अन्य गणमान्य नागरिक भी मोजूद रहे। तोरण के बाद सभी दूल्हा दूल्हन मंच पर पहुंचे जहां दूल्हा-दूल्हन की वरमाला संस्कार सम्पन्न कराया गया। राम जानकी विवाह समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने मंचासिन संतों को नमन किया।

स्वतंत्रता सैनानी और पूर्व राज्यपाल कमला को नहीं मिला राजकीय सम्मान, उठा विवाद

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात सहित तीन राज्यों की पूर्व राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल की अंत्येष्टि में उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। क्या दिल्ली के इशारे पर दिवंगत सेनानी का अपमान किया गया? या ये मानवीय भूल हुई है? स्वतंत्रता सेनानी को आखिरी सम्मान न देना क्या उचित है? सरकार जवाब दे।

राहुल गांधी ने लिखा, "देश के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण हमें सदा प्रेरित करती रहेंगी"

जयपुर, (का.प्र.)। गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा की राज्यपाल रहीं और प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री डॉ. कमला की पार्थिव देह गुरुवार को पंच तत्व में विलीन हो गई। उनकी अंतिम यात्रा मालवीय नगर स्थित उनके निवास से रवाना होकर लालकोठी मोक्षधाम पहुंची। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटे आलोक बेनीवाल ने उन्हें मुखाग्नि दी, हालांकि पूर्व राज्यपाल होने के बावजूद राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं करने पर विवाद हो गया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं।

डोटासरा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात सहित तीन राज्यों की पूर्व राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल जी की अंत्येष्टि में उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। क्या दिल्ली के इशारे पर दिवंगत सेनानी का अपमान किया गया या ये मानवीय भूल हुई है? स्वतंत्रता सेनानी को आखिरी सम्मान न देना क्या उचित है? सरकार जवाब दे।

इस मौके पर पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, बीडी कल्ला सहित कांग्रेस-भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले उनके आवास पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लालचंद कटारिया, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी, इंद्रराज गुर्जर और पूर्व विधायक महादेव खंडेला, पूर्व राज्यमंत्री वीरेंद्र पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी डॉ. कमला के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व राज्यपाल और राजस्थान की पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. कमला बेनीवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षित है। इस दुख के समय में सभी शोकसंतप्त परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण हमें सदा प्रेरित करती रहेंगी।

संस्कृत वि.वि. में दाखिले शुरू

जयपुर । जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता शास्त्री कोसलेंद्रदास ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शास्त्री व आचार्य कक्षाओं के लिए वेद एवं पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, जैन दर्शन और विशिष्टाद्वैत वेदांत में आवेदन करने का विकल्प विद्यार्थियों के पास है। योग विज्ञान विषय में बीए व एमए कक्षाओं के अतिरिक्त योग, ज्योतिष एवं कर्मकांड और पीजीडीसीए जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

पुलिस हटाए हिस्ट्रीशीट से नाम : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीस साल से आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहने के बावजूद पुलिस की ओर से हिस्ट्री शीट बंद नहीं करने और व्यक्तिगत रजिस्टर से नाम नहीं हटाने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने हिस्ट्री शीट खोलने के संबंध में जारी 5 अप्रैल, 2006 और व्यक्तिगत रजिस्टर में नाम दर्ज करने वाले झुंझुनूं एसपी के 19 सितंबर, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं अदालत ने पुलिस प्रशासन को कहा है कि वह हिस्ट्री शीट और व्यक्तिगत रजिस्टर से याचिकाकर्ता का नाम हटाए। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता का नाम सर्विलांस रजिस्टर और वेबसाइट से भी एक माह में हटाने को कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश महेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार लांबा ने अदालत को बताया कि झुंझुनूं एसपी ने 5 अप्रैल, 2006 को उसका नाम हिस्ट्री शीट में लिखा था और 19 सितंबर, 2022 को उसका नाम व्यक्तिगत रजिस्टर में लिख दिया गया।

जेलों का किया निरीक्षण

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने गुरुवार को केंद्रीय कारागृह, महिला जेल एवं जिला संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों के लिए कारागृह प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही आवास एवं साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कारागृह अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम के सचिव राजेन्द्र बंशीवाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा द्वारा केन्द्रीय कारागृह में निरुद्ध बंदियों से संवाद भी किया गया तथा बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की।

स्कूलों में स्टेशनरी की दुकानें, लेकिन डिस्पेंसरी एक में भी नहीं : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस एक्ट, 2016 के प्रावधानों की पालना नहीं करने से जुडे मामले में गंभीर मौखिक टिप्पणियां की है।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस एक्ट, 2016 के प्रावधानों की पालना नहीं करने से जुडे मामले में गंभीर मौखिक टिप्पणियां की है। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की मौजूदगी में कहा कि आज स्कूल व्यापार बन गया है। ऐसे में इनके खातों की जांच होना बहुत जरूरी है। शिक्षा विभाग चाहे तो इसके लिए आयकर आयुक्त की भी मदद ले सकता है।

अदालत ने कहा कि स्कूलों को टैक्स में छूट मिल रही है तो उनके खातों की भी जांच होनी चाहिए। जस्टिस समीर जैन ने यह टिप्पणी जितेन्द्र जैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से पेश रिपोर्ट को नकारते हुए अदालत ने कहा कि यह सतही तौर पर तैयार की गई है।

अदालत ने कहा कि कुछ दिनों पहले स्कूलों में बम होने की सूचना मिली थी, लेकिन स्कूलों के पास इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। स्कूलों में स्टेशनरी की दुकान खोलकर वहां से सामान खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है, लेकिन एक भी स्कूल में डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है। अदालत ने स्कूल संचालकों की ओर से अभिभावकों को किताबे और यूनिफॉर्म के लिए दुकान विशेष से खरीदारी करने के लिए पाबंद करने पर भी नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि हर स्कूल में अभिभावकों को उनके यहां से किताबे लेने के लिए मजबूर किया जाता है और संचालकों ने स्कूल में ही दुकान खोल ली है। अदालत ने कहा कि यह स्कूल का काम नहीं है कि वह स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दुकान चिन्हित करे। जब एनसीआरटी के सिलेबस के अनुसार किताबें तय हैं तो अलग से किताबें क्यों दी जा रही हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया। इस पर अदालत ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है, लेकिन उसकी पालना नहीं की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि विद्याश्रम सहित अन्य निजी स्कूलों ने राजस्थान फीस अधिनियम, 2916 और नियम 2017 के प्रावधानों के विपरीत जाकर फीस में बढोतरी की है। ऐसे में स्कूलों को पाबंद किया जाए कि वह कानून के अनुसार ही फीस वसूली करें।

मिशन कर्मयोगी का सभी विभाग पूर्ण लाभ उठाएं : सुधांश पंत

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता की।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को लेकर ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं जिससे प्रदेश सुशासन तथा विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने अधिकारियों से आव्हान किया कि मिशन कर्मयोगी का पूरा लाभ उठाकर अपनी क्षमता में वृद्धि कर नवप्रवर्तनशीलता और पारदर्शिता के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें।

पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लंबित पत्रावलियों, ई-फाइल व डाक के औसत निस्तारण समय में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया तथा सम्बंधित अधिकारियों को ई-फाइल के निस्तारण समय में और सुधार हेतु निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस माह के अंत तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों तथा स्वायत्त संस्थाओं को भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाये।

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान में वर्षा जल के संचयन, भू-जल व सतही जल स्त्रोतों में पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कार्य करें। साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये जल संरक्षण को जन आन्दोलन बनाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बावड़ियों, तालाबों, बांधों आदि जल संग्रहण के स्त्रोतों के रखरखाव के काम आगामी मानसून से पहले ही पूरे किये जाये जिससे वर्षा के जल का अधिकतम संग्रह किया जा सके। उन्होंने पेयजल, पौधारोपण, जल संरक्षण, शिक्षा जैसे विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

पंत ने पौधरोपण एवं उनके वितरण के लक्ष्यों को विशेष अभियान के तहत पूरा करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के पश्चात भी लम्बे समय तक उसके रखरखाव के लिए लोगों को प्रेरित करें। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रस्तावित भू-नीति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाए मौजूद हैं और राजस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में निवेशकों और सम्बंधित हितधारकों से संवाद कर उनके सुझावों को भी शामिल करें।

मुख्य सचिव ने डीपीसी व सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं उन्हें निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करने के प्रयास करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर परिवादों का औसत निवारण समय 50 दिवस से कम होकर 16 दिवस होने पर सराहना की साथ ही निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का समयसीमा में निवारण कर आमजन को राहत प्रदान करें एवं विधानसभा से प्राप्त लंबित प्रश्नों के उत्तर जल्द भिजवाएं।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा तथा सम्बंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, अधिकारी उपस्थित रहे।

हत्या के पांच अभियुक्तों की उम्रकैद निलंबित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पांच अभियुक्तों ओमप्रकाश, दिनेश कुमार, रामपाल, अनुज और आमिर की सजा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा करने को कहा है। वहीं अदालत ने मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी और जगदीप के सजा निलंबन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों की की आपराधिक अपील में दायर प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए।

अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि वे प्रकरण में पांच साल से जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ सीआई व कांस्टेबल पर सीधी गोली चलाने का आरोप नहीं है। नक्शा मौके से भी साबित है कि मौके पर मुख्य अभियुक्त अजय व जगदीप की ही मौजूदगी ही घटनास्थल पर मिली है। वहीं हथियार की रिकवरी भी एफएसएल रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। वहीं अपील के निस्तारण में समय लगेगा। इसलिए अपील के निस्तारण तक उनकी सजा को स्थगित किया जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने दो पुलिसकर्मियों की हत्या की है। ऐसे में उनकी सजा को स्थगित नहीं किया जा सकता।

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी, जयपुर)
क्रमांक-एफ-55 () वि.जोन/ज.न.नि./2024/286
सार्वजनिक सूचना दिनांक-15.05.2024
भूखण्ड संख्या 261, संजय नगर-बी, झोटवाडा, जयपुर का नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा श्री अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल रहीम को क्षेत्रफल 316.00 वर्गगज भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त आवेदक वानो पुत्री स्व. अब्दुल करीम, अयुब पुत्र स्व. अब्दुल करीम एवं रविया पत्नी स्व. अब्बास पुत्र स्व. अब्दुल करीम द्वारा रजि. हकत्याग पत्र के आधार पर क्षेत्रफल 316.00 वर्गगज भूखण्ड का लीज डीड अपने पक्ष में चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के लीज डीड बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार लीज डीड की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

आम सूचना मेरे अभिभाष्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लाल सिंह निवासी 25 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला, जयपुर की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य के छोटे पुत्र ईशांत सागर एवं उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा विवाह के पश्चात से ही मेरे अभिभाष्य के कहने मे नही है तथा मेरे अभिभाष्य की वृद्धावस्था मे कोई सेवा सुश्रुषा नही कर रहे है तथा अपने वैसालिक जीवन के कलेश के चलते मेरे अभिभाष्य की साख एवं परिवार की मान मर्यादा को काफी क्षति पहुँचा रहे है तथा मेरे अभिभाष्य के कहने पर नही चल रहे है तथा मेरे अभिभाष्य को हर प्रकार से हैरान परेशान करते रहे है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र ईशांत सागर व उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा मेरे अभिभाष्य से अगस्त 2019 से अलग रह रहे हैं इसलिये मेरे अभिभाष्य अपनी समस्त प्रकार की चल अचल सम्पति, मकान 25, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला, जयपुर व अन्य जो भी जयपुर व अन्य मे जहाँ भी है उसमे अपने छोटे पुत्र ईशांत सागर एवं उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा व उनके वारिस जो भी हो को बेदखल कर रहे है। अब ईशांत सागर एवं उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा को कोई भी व्यक्ति, संस्था मेरे अभिभाष्य का पुत्र होने के आधार पर कोई राशि उधार नही देवे। अब भविष्य मे ईशांत सागर एवं उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा का मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पति मे कोई अधिकार एवं स्वत्व नही रहेगा, न ही मेरे अभिभाष्य का कोई संबंध ईशांत सागर एवं उसकी पत्नी प्रियंका डेहरा से रहा है। आम जन को सूचित करे। यह आम सूचना आज मेरे अभिभाष्य के निर्देशानुसार जारी की है जो सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।
दिनांक-15/05/2024 महेश कुमार चौधरी (एडवोकेट) मो.- 9950751116

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: LU2912/JDA/2024-25/103423 **लोक सूचना** दिनांक: 16.05.2024
श्री MS GULAB VINAYAK PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR MAHESH KUMAR KALWANI पुत्र श्री THAKUR DAS KALWANI जाति SINDHI निवासी 194, SINDHI COLONY, BANIPARK, JAIPUR ने इस कार्यालय में पीले प्रोसिडिंग पूर्ण का आवासीय उपयोग के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिपट्टा अधिकारी के निर्देशन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एतराजकी आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (JDA) कार्यालय पर जाकर समर्थक दस्तावेज के अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज करा सकते है उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदुपरान्त पात्रता का निस्तारण किया जायेगा यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.05.2024 को जारी की गयी
अधिकृत अधिकारी जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	कारोबार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	गौड़ हथोदा, कालवाड़ (जयपुर)	M/s Gulab Vinayak Private Limited	13	7461	0.7461
2	गौड़ हथोदा, कालवाड़ (जयपुर)	M/s Gulab Vinayak Private Limited	292/14	2444	0.2444
3	गौड़ हथोदा, कालवाड़ (जयपुर)	M/s Gulab Vinayak Private Limited	294/12	1566	0.1566
				कुल	1.1471

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-A और राजस्थान कॉलोनाईट अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिपट्टे अधिकारी के निर्देशन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एतराजकी आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (JDA) कार्यालय पर जाकर समर्थक दस्तावेज के अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज करा सकते है उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदुपरान्त पात्रता का निस्तारण किया जायेगा यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.05.2024 को जारी की गयी
अधिकृत अधिकारी जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरा अभिभाष्य राजू नाटाणी पुत्र श्री घासीलाल, निवासी ए-11, अग्रवालों का मोहल्ला, झोटवाड़ा जयपुर जरिये खण्डेलवाल प्राईम स्टेट प्रा.लि. जो कि कृषि भूमि वाके ग्राम भट्ठों की गली, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला-जयपुर में खसरा नम्बर 569, 570, 571 कुल रकबा 2.84 बीघा व खसरा नम्बर 688, 846, 847, 848 कुल रकबा 3.6 बीघा व अन्य भूमि को प्रहलाद सिंह, जाना कंवर एवं उनके वारिसान से खरीद का गिरधर विहार आवासीय योजना सृजित कर दी हैं। भट्ठा बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा आवटन पत्र व पट्टे जारी कर दिये हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो सूचित करें।
जयपुर नर्इमुद्दीन (एडवोकेट)
दिनांक-16.05.2024 मो. 9352442148

नाम परिवर्तन

मैं मंजू बोरा पत्नी नाम राजेन्द्र सिंह आर्मी नं. JC-391558Y रैंक Nb Sub. निवासी घुनी नं.-1, मां कालिका कॉलोनी के सामने, कठघान्या हल्द्वानी, तहसील-नैनीताल-उत्तराखंड ने अपना नाम मंजू बोरा से बदलकर मंजू रख लिया है भविष्य में मुझे मंजू के नाम से जाना जाए।

मैं आर्मी नं.15704929H रैंक-नायक सरोज कुमार राय पुत्र स्व. जवाहर राय निवासी-ग्राम लाला के टोला, तहसील-आरा, जिला-भोजपुर, बिहार ने भविष्य के सभी उद्देश्य के लिए अपनी माताजी का न